संख्या- 28 /2026/ 878/सत्रह-म-2026-17-1099/126/2023

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 27 मई, 2026

विषय: सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 312/नि0शा0/ 2026-27 दिनांक 18 मई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष 100.00 लाख (रू0 एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अनतर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अनतर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0402- सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम, 20- सहायता अनुदान सामान्य(गैरवेतन) मद में प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय केयि जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(2) आंकडों की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक मत्सय/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(3) इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(4) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(5) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति

अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/ दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03. 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

भवदीय

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-28 /2026/ 878(1) /सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

(4) उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(5) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(6) सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 27-05-2026
14:42:34

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।